उत्तर प्रदेश में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र (TTZ) में काष्ठ आधारित उद्योगों की नई इकाईयां स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने वाले नये लाइसेंस हेतु दिनांक 12.12.2018 को ई–लाटरी के सफल आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से सम्बन्धित भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** में दिनांक 08.09.2016 द्वारा अन्य के अतिरिक्त ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिये White Category के अतिरिक्त अन्य Category के उद्योगों के विस्तार तथा ऐसे नये उद्योगों की स्थापना पर Ad-hoc moratorium हेतु निर्णय लिया गया है। काष्ठ आधारित उद्योग जिनके लिये आवेदकों को नये लाइसेंस हेतु सफल पाया गया है, में से कोई भी White Category के उद्योग के अन्तर्गत नही है।

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ एवं एटा जनपदों के आंशिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** को निम्न 04 GPS Co-ordinates द्वारा चिन्हित किया गया है–

जी0पी0एस0 बिन्दु संख्या	अक्षांश	देशांतर
1	26^0 45' N	77^0 15' E
2	27^0 45' N	77^0 15' E
3	27^0 00' N	78^0 30' E
4	27^0 30' N	78^0 30' E

उक्त **GPS Co-ordinates** के आधार पर ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** को दर्शाता हुआ मानचित्र जिसमें ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** की वाह्य सीमा सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित है, संलग्न है।

अतः उक्त परिस्थितियों में काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने वाले नये लाइसेंस हेतु सफल आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वें काष्ठ आधारित उद्योग की इकाई ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** के बाहर ही स्थापित करें। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** के अन्दर आपको काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने का लाइसेंस निर्गत किया जाना सम्भव नही होगा।

इस सम्बन्ध में कोई अन्य जानकारी निम्न कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है–

कार्यालय	दूरभाष संख्या
वन संरक्षक/स्टाफ आफीसर, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, 17–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ	0522–2206184
अपर प्रमुख वन संरक्षक, आगरा जोन, मऊ वन ब्लाक, नगला वूडीह, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निकट, खण्दारी, आगरा	0562–2530145
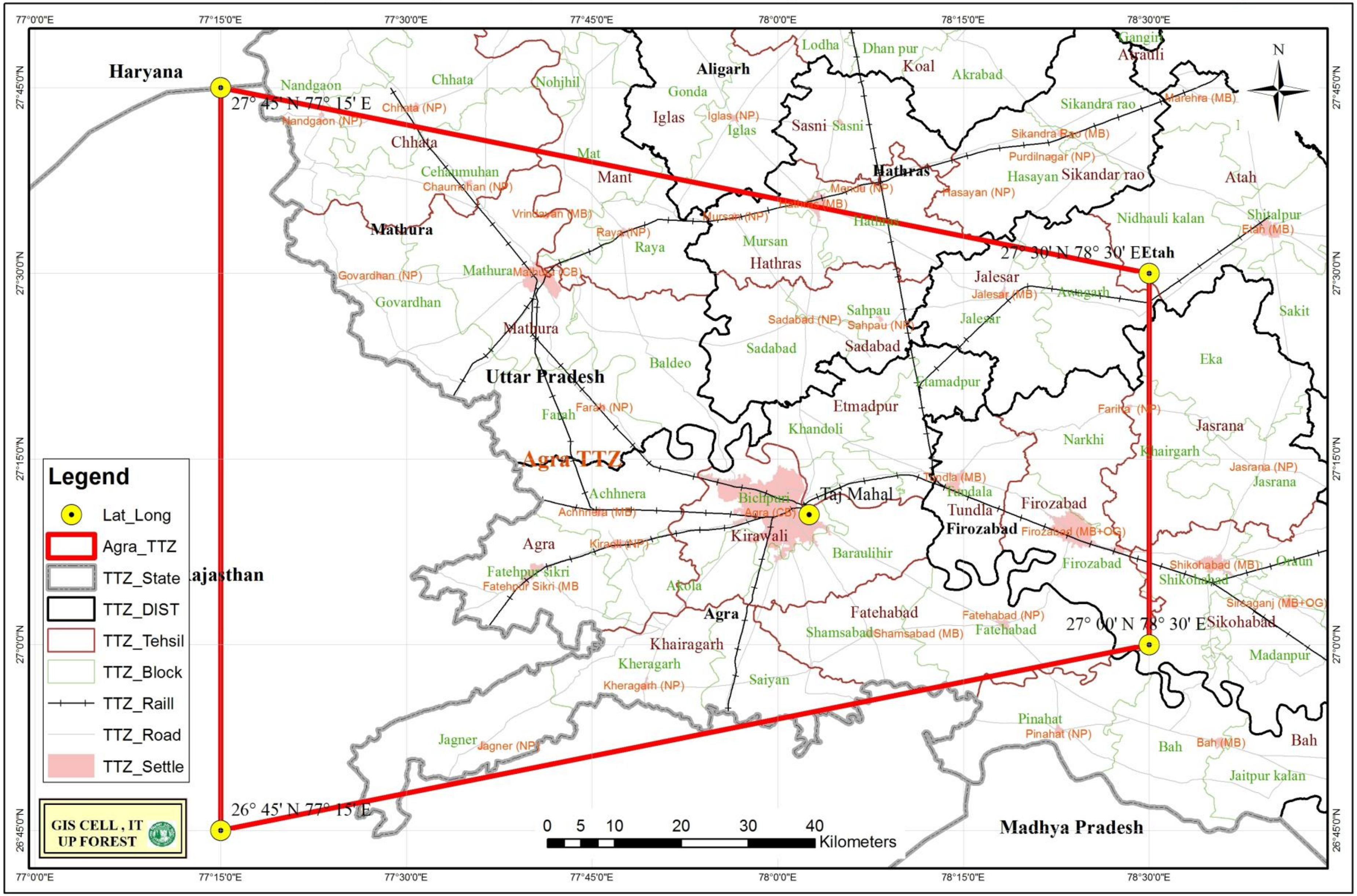
ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र **(TTZ)** का मानचित्र